राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

प्रस्ताव संख्या : STA-1/2019 जयपुर, दिनांक 27-08-2019

विषय :– प्रस्ताव संख्या STA-03/2015 दिनांक 02.09.2015 में संशोधन बाबत्।

राज्य के अधिसूचित मार्गों पर निजी स्टैज कैरिज वाहनों हेतु राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5.10 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 6(201)/परि/टैक्स/मु/2004/9315–28 दिनांक 29.05.2015 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये जारी किये गये प्रस्ताव संख्या STA-03/2015 दिनांक 02.09.2015 की शर्त संख्या 2 को (संशोधित करते हुये) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

2 (i) किन्ही भी कारणों से प्रतिस्थापित की जाने वाली वाहन प्रतिस्थापन हेतु आवेदन की दिनांक को दो कलैण्डर वर्ष से अधिक पुरानी निर्मित नहीं होगी।

(ii) प्रतिस्थापित की जाने वाली बस की बैठक क्षमता प्रतिस्थापित होने वाली बस की बैठक क्षमता के बराबर या उससे अधिक या उससे (–) 5 प्रतिशत तक अनुमत होगी।

(iii) प्रतिस्थापित की जाने वाली बस विशिष्टताओं (Specifications) (यथा डीलक्स, सेमी डीलक्स, वातानुकूलित, शयन यान इत्यादि) में प्रतिस्थापित होने वाली बस के समान होगी।

सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार
राजस्थान, जयपुर

21999 to 22006
27/8/19

क्रमांकः– एफ 9 (253)परि/आरटीए/एसटीए/2008/एच.क्यू./पार्ट–I/ जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (परिवहन) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
4. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार।
5. समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय)।
6. समस्त सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ....।
7. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।

सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार

Scanned by CamScanner